

कार्यालय जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित

जिला रतलाम (म.प्र.)

सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 से संबंधित जानकारी

बिन्दु क्र. 1

संस्था का ढाचा, परिचय एवं कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्य एवं दायित्व की जानकारी जिला समिति का परिचय एवं उद्देश्य :-

(अ) कार्यालयीन संस्था का ढाचा एवं परिचय :-


जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित रतलाम सहकारिता अधिनियम 1966 के तहत पंजीकृत संस्था है। जिसका पंजीयन क्रमांक 254 दिनांक 30/12/80 है।

“प्रदेश स्तर पर संस्था का मुख्यालय म.प्र. राज्य सहकारी अनु.जा वित्त एवं विकास निगम मर्या. 35 राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल के नाम से जाना जाता है।”

इस संस्था का गठन अनुसूचित जाति / जन जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिये ऐसे रोजगार मूलक कार्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु किया गया है, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका कमाने में आर्थिक मदद मिल सके। चूंकि वर्ष 1995-96 से शासन ने पृथक से अनु.जन जाति के सहायतार्थ आदिवासी वित्त एवं विकास निगम तथा पिछड़े वर्ग के सदस्यों के सहायतार्थ पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का गठन कर दिया है। अतः जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति वर्ष 1995-96 से मात्र अनु.जा के आर्थिक उत्थान की ही योजनाएं संचालित करती है। समिति द्वारा गरीबी रेखा से नीचे एवं विभिन्न राष्ट्रीय निगमों द्वारा निर्धारित आय सीमा तक के परिवारों को स्वरोजगार में स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न आयजनित योजनाओं जैसे :- कृषि क्षेत्र में टेक्टर टाली, थ्रेसर (डिजल/ पम्प)विधुतमोटर पम्प,डेयरी आदि। सेवा क्षेत्र में - किराना , जनरल स्टोर , जुता चप्पल दुकान , साईकिल/स्कूटर मरम्मत आदि। परिवहन क्षेत्र में ऑटो रिक्शा, जीप टेक्सी, मिनी बस , आदि में कम ब्याज दर पर ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

संस्था का ढाँचा :-

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रतलाम



3 जिला समितियों के संचालक मंडल के कर्तव्य :-

निगम के निर्देशों के अन्तर्गत रहते हुए साधारण सभा द्वारा समय समय पर अधिकृत एवं उपविधियों के अन्तर्गत पदतल अधिकारों का उपयोग कर उन्हें कार्यावन्ति करने हेतु निर्देशित करेगा।

4 जिला समिति के अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार :-

1 जिला अध्यक्ष (कलेक्टर संचालक मंडल का अध्यक्ष होगा। और बैठकों की अध्यक्षता करेगा। साधारण सभा एवं संचालन मंडल की अध्यक्षता के अलावा अध्यक्ष का समिति के सभी अधिकारियों एवं उनके निष्पादन एवं कार्यों पर सामान नियंत्रण रखेगा।

2 अध्यक्ष मंडल के किसी संचालक या समिति के किसी अधिकारी को किन्हीं शक्तियों के उपयोग हेतु अधिकृत कर सकेगा और उन्हें विशिष्ट कार्यों को आमंत्रित कर सकेगा।

5 जिला समितियों के कार्यपालन अधिकारियों के कर्तव्य :-

1 समिति के व्यापार एवं प्रशासन पर उनका समान नियंत्रण एवं परिवेक्षण होगा।

2 संचालन मंडल द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत तथा उनके अनुमोदन से समिति के कर्मचारियों को नियुक्त करना उनका स्थानान्तरण करना एवं दण्डित करना और उनसे जमानत प्राप्त करना एवं उनके कर्तव्य तय करना।

3 सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र जारी करना।

4 अन्य समितियों में समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रतिनिधी के रूप में निर्वाचित सदस्यों के नाम भेजना।

5 समिति की ओर से सभी पत्र व्यवहार आदि करना।

6 वह समिति की ओर से वाद,प्रतिवाद, प्रस्तुत करने वाला अधिकारी होगा। और समिति की ओर से समस्त बंध पत्र, समायोजना तथा अनुबंध उनके नाम से होंगे।

7 वह समिति की ओर से नगदी, धनादेश, बैंक डाफ्ट प्रतिभूतियों आदि प्राप्त और समिति की ओर से समस्त भुगतान तथा नगदी शेष व अन्य संपत्तियों की सुरक्षा करेगा या व्यवस्था करेगा।

- 8 समिति की और से प्रतिज्ञा पत्रो, शासकीय एवं अन्य प्रतिभुतियों, चेक आदि को पृष्ठाकिंत और हस्तातरित करेगा या करायेगा। संचालन मंडल द्वारा निर्धारित सीमा में रहते हुए वह समिति के किसी बैंक खोल गये खातो में लेन देन करेगा, या व्यवस्था करेगा।
- 9 समिति की हित में अत्यावश्यक प्रकृति के किसी कार्य के लिये वर्ष 2001 – तक आकस्मित व्यय कर सकेगा। और संचालन मंडल को आगामी बैठक में सूचित करेगा।
- 10 वह संचालन मंडल की और से उसकी अनुमोदन प्राप्त करने के लिये भविष्य की योजना वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लाभ, विभाजन प्रतिवेदन और सालाना पत्रक तैयार करना।
- 11 अग्रेषण एवं निरक्षण का पालन प्रतिवेदन तैयार करना और संचालन मंडल के समक्ष रखना।
- 12 समिति के व्यापार संचालन के लिये सभी पत्रो एवं दस्तावेजो पर समिति की और से हस्ताक्षर करना।
- 13 कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करना।
- 14 संचालन मंडल के सीधे नियंत्रण में रहते हुए समिति के सफल व्यापार एवं कार्य के लिये सभी कर्तव्यों एवं अधिकारो का उपयोग करना जो इस हेतु आवश्यक हो।
- 15 समिति के गोदाम में या अन्य उपयुक्त स्थानो पर सदस्यो द्वारा उत्पादित माल को सुरक्षित रखने व्यवस्था करना ताकि वे माल के तारण पर समिति से ऋण प्राप्त कर सकें।
- 16 समिति की संपत्तियों रखे माल का बिमा करवाने की व्यवस्था करना।

1. (ब) कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के कार्य एवं दायित्व की जानकारी :-

क्र.	शाखा	कार्य विवरण	शाखा प्रभारी का नाम एवं पद
1.	योजना शाखा	विभाग द्वारा संचालित योजनाओ के प्रस्ताव तैयार करना प्रस्तुतीकरण ऋण वसुली आदि।	श्री एच.एल. अहिवार लेखापाल
2.	लेखा शाखा	जिला समिति के सभी लेखा/ रोकड संबधी कार्यों का संपादन।	---"---
3.	कार्यालयीन व्यवस्था	स्टेशनरी स्टोर, आवक, जावक नस्तियो का संधारण टकनं एवं अन्य सभी कार्यों का संपादन।	---"---

कार्यालय जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित रतलाम

बिंदु क्र. 2 – कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी :-

क्र.	नम	पद	परिलब्धिया	कार्य
1.	श्री व्ही. के. जैन	कार्यपालन अधिकारी	मू.वे. 11250 + भत्ते	कार्यालय के समस्त कार्यों का संपादन करवाना।

बिंदु क्र. 3 – उपनियम 4.1 (बी) (3) के अंतर्गत निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया को ग्राफ के रूप में तैयार करना।

1 प्रशासकीय / स्थापना शाखा

Actt/LDC-----CEO/EO/AEO----- COLLECTOR/CHAIRMAN
Dealing staff (Channels officer & Supervisory Authorit) (Decision Making Authority)

2 लेखा शाखा

Actt/LDC-----CEO/EO/AEO----- COLLECTOR/CHAIRMAN
Dealing staff (Channels officer & Supervisory Authorit) (Decision Making Authority)

3 योजना शाखा

Actt/LDC-----CEO/EO/AEO----- COLLECTOR/CHAIRMAN
Dealing staff (Channels officer & Supervisory Authorit) (Decision Making Authority)

4 कार्यालयीन व्यवस्था

Actt/LDC-----CEO/EO/AEO----- COLLECTOR/CHAIRMAN
Dealing staff (Channels officer & Supervisory Authorit) (Decision Making Authority)

बिंदु क्र. 4. – (क) कार्यों के निपटारे की समय सीमा :-

- 1 ऋण आवेदनो का परीक्षण – 30 दिन के भीतर
- 2 चयन पश्चात बैंको / निगम मुख्यालय को भेजना।
- 3 अनुदान सम्प्रेषण – अनुदान मांग प्राप्त होने पर 30 दिनों के भीतर (आंबटन उपलब्ध होने की स्थिति में)।
- 4 राष्ट्रीय निगम की योजनाओ में ऋण वितरण – हितग्राही द्वारा आवश्यक औपचारिकताए पूर्ति कराने के पश्चात 15 दिवस के भीतर।

नोट :- परन्तु वे जानकारी / सूचनाएँ जो व्यक्ति के जीवन / स्वतंत्रता से संबंधित हो, ऐसे मामले में संबंधित को सूचना के अनुरोध से 48 घंटे के भीतर सूचनाये प्रदाय की जावेगी।

(ख) गुणवत्ता :-

- 1 हितग्राही को जिस व्यवसाय हेतु ऋण दिया जावेगा उसी व्यवसाय में लगाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर संपूर्ण ऋण राशि मय ब्याज के सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत एवं भु राजस्व की भांति वसुलनीय होगी।
- 2 जिला एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर ईकाइया का निरीक्षण किया जावेगा।

(ग) योजना में प्राप्त लक्ष्य :- वर्ष 09-10

क्र.	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	अन्त्योदय स्वरोजगार योजना	175	17.50 लाख
2	प्रतिष्ठा पुर्नवास योजना	—	—
3	प्रतिष्ठा प्रशिक्षण	—	—
4	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	—	—
5	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	20	30.00 लाख
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (कंजर समाज)	50	15.00 लाख
7	वसूली लक्ष्य	—	69.00 लाख

बिन्दु क.5 -कार्यालय में उपलब्ध अधिनियम, नियम, (रूल, रेगुलेशन) :-

- 1 सहकारिता अधिनियम
- 2 जिला समिति की उपविधि।

बिन्दु क.6 -कार्यालय में संधारित किये जाने वाले अभिलेखों की सूची :-

क्र.	शाखा का नाम	संधारित अभिलेख
1	लेखा	कैशबुक, लेजर, चेकपंजी, अनुदान पंजी, ऋण लेजर, अग्रिम पंजी, मियादी जमा पंजी, आवटन पंजी
2	योजना शाखा	ऋण, प्रकरण, आवक पंजी, ऋण प्रकरण प्रेषण पंजी व प्रगति पंजी, संपर्क पंजी
3	कार्यालयीन व्यवस्था	स्टेशनरी पंजी, डेड स्टॉक पंजी, रसीद बुक इसू पंजी, ऋण आवेदन जारी पंजी, आकस्मिक अवकाश पंजी उपस्थिति पंजी नस्ती पंजीयन पंजी, समय सीमा जन प्रतिनिधियों के पत्रों की पंजी आवक जावक पंजी।

बिंदु क.7. –हितग्राही चयन समिति :-

1.	कलेक्टर अध्यक्ष / उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधी	–	अध्यक्ष
2.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र	–	सदस्य
3.	जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक	–	सदस्य
4.	माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	जिला संयोजक /सहायक आयुक्त आ.जा.क	–	सदस्य
4.	मु.का .अ./का.अ/स.का. अ.	–	सचिव सदस्य
5.	क्षेत्रीय परिवहन अधि. (परिवहन संबंधित प्रकरणों में)	–	सदस्य

बिन्दु क.8 –

कार्यालय के कार्यों का अनुमोदन संचालन मंडल द्वारा किया जाता है।

संचालनमंडल में निम्न सदस्य होंगे :-

1	कलेक्टर एवं अध्यक्ष	–	पदेन अध्यक्ष
2(अ)	जिला समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य –9	–	सदस्य
(ब)	जिला समिति के सदस्य सहायक संस्थाओं के प्रतिनिधी–2	–	पदेन सदस्य
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (डी आर डी) जिला पंचायत	–	पदेन सदस्य
4	जिला संयोजक/सहायक आयुक्त अनु. जाति कल्याण विभाग	–	पदेन सदस्य
5	सहायक पंजीयक/ उपपंजीयक सहायक संस्थाएं	–	पदेन सदस्य
6	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र	–	पदेन सदस्य
6	लीड बैंक के सदस्य	–	पदेन सदस्य
8	उपसंचालक कृषि	–	पदेन सदस्य
9	निगम का प्रतिनिधी	–	पदेन सदस्य
10	मु.का.अ./का.अ.	–	संयोजक सदस्य

बिन्दु क.8 (01) संस्था के संचालक मंडल/आमसभा के बैठको का आयोजन :-

उपविधि क्रमांक 20 में निहित प्रावधानान्तर्गत आमसभा की बैठक का आयोजन वर्ष में एक बार आयोजित किये जाने का प्रावधान है। तथा संचालक मंडल की बैठक का आयोजन विधि क्रमांक 27 में निहित प्रावधानान्तर्गत दो माह में एक बार आयोजित किये जाने का प्रावधान है।

बिन्दु क.8 (02) संस्था के विगत बैठको के एजेन्डा एवं कार्यवाही विवरण का उपलब्ध होना :-

विगत आमसभा की बैठक दिनांक 18.01.1984 एवं संचालक मंडल की बैठक दिनांक 27.11.2005 को आयोजित की गई थी। बैठक का एजेन्डा बिंदु एवं कार्यवाही विवरण जिला समिति में सुरक्षित है।

बिन्दू क्र. 9 एवं 10 – जिला समिति में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों का विवरण :-

क्र.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति
1	श्री व्ही. के. जैन	कार्यपालन अधिकारी	25731 / -	निगम निर्देशानुसार
2	श्री एच. के. वेद	क्षेत्राधिकारी	23832 / -	निगम निर्देशानुसार
3	श्री, एच. एल. आहिवार	लेखापाल	14174 / -	निगम निर्देशानुसार
4	पद रिक्त	-	-	-
5	श्री मांगीलाल डामर	भृत्य	8748 / -	निगम निर्देशानुसार
6	श्री प्रकाश मालवीय	भृत्य	8024 / -	निगम निर्देशानुसार
7	श्री जितेन्द्र चांवला	चौकीदार	8024 / -	निगम निर्देशानुसार

बिन्दू क्रमांक 11 – वर्ष 09–10 के लिये मदवार बजट आबंटन की स्थिति :-

क्र.	मद का नाम	पूर्व वर्ष की शेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय / वापस	शेष
1	स्वरोजगार	-	15.00	15.00	03.50	11.50
2	प्रतिष्ठापुर्नवास	-	-	-	-	-

3 रा.अनु.जा.वि.वि.नि.

क्र.	मद का नाम	पूर्व वर्ष की शेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय / वापस	शेष
1	एक लाख की योजना	-	2.00	2.00	2.00	-
2	डेयरी योजना	-	-	-	-	-
3	महिला समृद्धि यो.	-	4.50	4.50	4.50	-
4	जीप टेक्सी	-	-	-	-	-
5	शू शाप	-	1.00	1.00	1.00	-
6	रेडिमेड वस्त्र	-	2.00	2.00	2.00	-
7	मा.क्रे.यो. कंजर समाज	-	15.00	15.00	15.00	-
8	महिला किसान योजना	-	5.50	5.50	5.50	-

4 रा.स.कर्म.वि.वि.नि.

क्र.	मद का नाम	पूर्व वर्ष की शेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय / वापस	शेष
1	-	-	-	-	-	-

5 रा.विक.वि.वि.नि.

क्र.	मद का नाम	पूर्व वर्ष की शेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय/वापस	शेष
1	—	—	—	—	—	—

बिन्दु क्रमांक 12— जिला समिति द्वारा संचालित योजनाएँ एवं चयन की प्रक्रीया एवं वर्ष वार लाभान्वित की जानकारी :-

(क) स्वरोजगार योजनाएँ , पात्रता चयन की प्रक्रीया आदि :-

1. **स्वरोजगार योजना** :- इस योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बेरोजगार को लघु उधोग, कुटीर उधोग व्यापार के लिए बैंको से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एवं समिति द्वारा ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रूपये अनुदान दिया जाता है।

पात्रता – आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो जिले का स्थायी निवासी हो तथा अनुसूचित जाति का सदस्य हो इस हेतु राजस्व अधिकारी का आय जाति निवासी प्रमाण पत्र तथा कही से कोई ऋण नहीं लिया है इस आशय का शपथ पत्र एवं राशन कार्ड होना चाहिए ।

आवेदन – जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से योजना की जानकारी प्राप्त कर 10 रु एवं आवेदन शुल्क जमाकर ऋण आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष की हो।

चयन प्रक्रीया – आवेदको का चयन प्रथम आओ प्रथम पाओं के आधार पर किया जाता है। प्रथमतः आवेदन पंजीबद्ध किये जाते है एवं अनुसूचित जाति के विधायक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के अनुमोदन पश्चात प्रकरण बैंकों को प्रेषित किये जाते है।

- 2 **प्रतिष्ठा योजना**—सफाई कामगारों के सम्मान जनक व्यवसाय में उनके रुचि अनुसार प्रतिस्थापित करना है।

योजना का स्वरूप – इस योजनांतर्गत सफाई कामगारों को लघु कुटीर उधोग एवं व्यपार के लिए बैंको से 50000 हजार अधिकतम 10000/- अनुदान एवं स्वीकृत ऋण की 15 प्रतिशत अधिकतम 7500/- मार्जिन मनी ऋण दिया जाता है।

चयन प्रक्रीया –हितग्राही चयन अनुसूचित जाति विधायक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।

पात्र हितग्राही—जिले की सर्वे सूची में नाम हो इसमें जाति का बंधन नहीं है आय का बंधन नहीं है। पूर्व में कही से ऋणी न हो यह योजना व्यक्ति मूलक है।

3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं – अनुसूचित जाति के दुगनी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में ऋण के पात्र है। व्यवसाय जिनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

1. **कृषि** – टेक्टर ,ट्राली, थ्रेसर,बोरवल, औषधिय पौधों की खेती आदि।
2. **सेवा क्षेत्र** – टेन्ट हाउस, बैंड पार्टी , जूता चप्पल रेडीमेड आदि।
3. **परिवहन** – जीप, मिनिबस, आटो डीजल , पेट्रोल आदि।

आवेदन एवं चयन प्रक्रिया – अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा समय समय पर पदत्त लक्ष्य अनुसार पत्र विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आमत्रित किये जाते हैं। तथा इनका चयन अनुसूचित जाति के विधायक महोदय की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। ऋण आवेदन पत्र जिला समिति में 10 रुपये जमाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन के साथ आय जाति निवास शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र राशन कार्ड वाहन हेतु ड्राइविंग लायसेंस आदि संलग्न कर जमा कर सकते हैं।

4. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम योजनाएं :- अनुसूचित जाति के वे लोग जो कम से कम 40 प्रतिशत शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग हो इस निगम की आर्थिक विकास योजनाओं के पात्र होंगे।

वित्तीय सहायता – फुटकर व्यवसायों हेतु ।
योजना का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण रतलाम जिला ।

पात्रता – अनुसूचित जाति के सदस्य हो, जिले के स्थायी निवासी हो एवं दुगनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हो इस हेतु आय जाति निवास प्रमाण पत्र तथा विकलांगता प्रमाण पत्र. राशन कार्ड कहीं से ऋण नहीं लिया हों। इस आशय का शपथ पत्र लगाकर आवेदन जमा किया जा सकता है।

हितग्राही चयन – अनुसूचित जाति विधायक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।

ऋण की वसूली – प्रदत्त ऋण 5 प्रतिशत ब्याज सहित 60 समान किश्तों में जमा करना होगा।

5 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं :-

सफाई कामगार जो मैला सफाई जैसे अमानवीय कार्य में लगें हैं को मुक्त कराकर उनके रुचि अनुरूप धन्धे में प्रतिस्थापित करना है।

योजना का स्वरूप – इस योजनांतर्गत आटो जीप एवं विभिन्न सेवा क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें 50 प्रतिशत अधिकतम 10000/- अनुदान दिया जाता है।

पात्र हितग्राही – सफाई कामगार जो रतलाम जिले का मूल निवासी हो तथा आवेदन या उसका परिवार सफाई कार्य करता हो तथा पूर्व में कहीं से ऋण न लिया हो योजना के तहत पात्र होगा।

हितग्राही का चयन – हितग्राही चयन अनुसूचित जाति विधायक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

ऋण वसूली – पदत्त ऋण की वसूली 6 प्रतिशत ब्याज सहित 60 समान किश्तों में की जाती है।

6. सेनेटरी मार्ट योजना – सिर पर मैला ढोने के धन्धे में लगे सफाई कामगारों की मुक्ति एवं पुर्नवास के लिए भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सेनेटरी मार्ट योजना तैयार की गई है।

उद्देश्य – इसका उद्देश्य शुष्क शोचालयों को जलीय शोचालयों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक सामग्रीयों का उत्पादन एवं विक्रय करना है। जैसे – साबुन सफाई के लिए बस ब्लिचिंग फिनाइल आदि।

वित्तीय व्यवस्था –सेनेटरी मार्ट योजनांतर्गत सफाई कामगारों के ग्रुपों को 20000/- प्रति व्यक्ति के मान से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। जिसमें 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान दिलाया जाता है।

हितग्राही चयन – अनुसूचित जाति विधायक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।

ऋण वसूली – ऋण की वसूली 6 प्रतिशत ब्याज सहित 60 समान किश्तों में की जाती है।

7. लघु वित्त ऋण (माइक्रो क्रेडिट स्कीम)महिला समृद्धि योजना – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम एवं सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की लघु वित्त ऋण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को एवं सफाई कामगारों को 25000/- रुपये का ऋण जिला रतलाम समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 1000/- अनुदान एवं 15000/- रुपये का ऋण रहता है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजनांतर्गत ऋण अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

पात्रता – गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। आवेदक अनुसूचित जाति के हो रतलाम जिले के स्थायी निवासी हो इस हेतु आय जाति निवास प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

आवेदक – राष्ट्रीय निगमों से लक्ष्य प्राप्त होने पर विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। तथा आवेदन पत्र 10/- रुपये जमा कर जिला समिति रतलाम से प्राप्त किये जा सकते हैं।

चयन – अनुसूचित जाति विधायक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।

ऋण वसूली –ऋण का पुर्नर्भूतान 5 प्रतिशत ब्याज सहित 36 समान किश्तों में करना होगा। महिलाओं के लिये ब्याज पर 1 प्रतिशत की छूट प्रदाय की जाती है।

(ख) **वर्षवार लाभान्वितों की संख्या** :- वर्ष 2009-10

क्र.	योजना का नाम	हितग्राही संख्या	ऋण	अनुदान
1	स्वरोजगार योजना	118	65.69	11.80
2	राष्ट्रीय अनु.जा.वि.वि. निगम	08	23.56	0.80

कार्यालय

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रतलाम

बिन्दू क्रमांक 13

(अ) बैंक से वित्त पोषित स्वरोगार योजनान्तर्गत लाभावित्त हितग्राहियों की सूची :-

स्वरोजगार योजना :- वर्ष 2009-10

क्र.	हितग्राही नाम एवं पता	जाति	ऋण का उद्देश्य	स्वीकृत ऋण	अनुदान
1	श्री मांगीलाल-धासी जी भुलिया	बलाई	सुकरपालन	50000	10000
2	“ विजयकुमार-रामगोपाल रतलाम	बैरवा	इलेक्ट्रीक दु.	30000	10000
3	“ गोविन्द देवचन्द्र करीया	चमार	कपडा व्य.	30000	10000
4	“ कैलाश गोरधन सैलाना	चमार	किराना दु.	20000	10000
5	“ भेरूलाल पुना जी सैलाना	बसोड	बांस दुकान	20000	10000
6	“ लक्ष्मीबाई राजु	बसोड	बांस दुकान	20000	10000
7	“ रमेशचन्द्र गोपाल बडावदा	चमार	साई.दुकान	20000	10000
8	“ पप्पुलाल कन्हैयालाल बडावदा	चमार	जुता चप्पल	20000	10000
9	“ बगदीराम बाबरू मेहन्दी	चमार	बकरी पालन	30000	10000
10	“ अम्बाशंकर तुलसीराम मेहन्दी	बलाई	बकरी पालन	30000	10000
11	“ राकेश रामपालसिंह रतलाम	मेहतर	कपडा व्य.	30000	10000
12	“ सुरेश बाबुलाल सैलाना	बलाई	विडियो केसेट	30000	10000
13	“कलाबाई रमेशचन्द्र सैलाना	बसोड	बांस टोकनी	20000	10000
14	“सुरेश मोहनलाल सैलाना	चमार	किराना दु.	20000	10000
15	“उंकारलाल भगवान जी धोसवास	चमार	जुता चप्पल दु.	25000	10000
16	“ रमेशनन्द राम धतरावदा	चमार	मोटर रिपेरिंग	25000	10000
17	“ कैलाश सुखराम अशावती	बलाई	कपडा व्य.	25000	10000
18	“ ममताबाई कैलाश आलोट	खटीक	कपडा व्य.	20000	10000
19	“महेश रतनलाल आलोट	खटीक	जुता चप्पल दु.	20000	10000
20	“पुरालाल भागीरथ खारवाकंला	बलाई	थ्रेशर मशीन	30000	10000
21	“रमेश भागीरथ आलोट	खटीक	रेडिमेड कपडा	20000	10000
22	“रणछोड पुना जी रतलाम	बागरी	रेडिमेड कपडा	20000	10000
23	“आशाबाई कांतिलाल रतलाम	खगार	रेडिमेड कपडा	20000	10000
24	“बन्टी शांतिलाल रतलाम	बसोड	रेडिमेड कपडा	25000	10000
25	“रतनलाल भुवान रतलाम	बागरी	कपडा व्य.	20000	10000
26	“कैलाश कोदर रतलाम	चमार	कपडा व्य.	20000	10000
28	“मनोज बालाराम रतलाम	बलाई	रेडिमेड	20000	10000
29	“नरेन्द्ररामलाल रतलाम	बलाई	रेडिमेड	20000	10000
32	“रामलाल सीताराम पलसौडा	भांभी	किराना दुकान	40000	10000
33	“दिनेश रमेशचन्द्र मोरदा	मेहतर	कपडा व्य.	30000	10000
34	“पवन बालाराम पलदुना	बलाई	किराना दुकान	30000	10000

35	"राजुबाई वरदु धटवास	बागरी	किरानादुकान	20000	10000
36	"लालुलाल मोहन तरखेडी	बलाई	रेडिमेड कपडा	30000	10000
37	"शंकरलाल मांगीलाल रतलाम	चमार	साईकिल दु.	20000	10000
38	"भेरूलाल शोभाराम शिवगढ	चमार	साईकिल दु.	30000	10000
40	"मीनाबाई आन्नद आलोट	खटीक	रेडिमेड	30000	10000
41	"भरत शातिलाल आलोट	मोची	कपडा व्य.	30000	10000
42	"रामचन्द्र सालगराम सैलाना	चमार	लाई.जुता	20000	10000
43	"हिम्मत रामचन्द्र रावटी	बलाई	जुता दुकान	30000	10000
44	"मांगीलाल मानाजी हतनारा	बलाई	खल कपास	20000	10000
45	"विजयकुमार शंकरलाल रतलाम	बलाई	रेडिमेड	20000	10000
46	"कंचनबाई मांगीलाल रतलाम	बलाई	रेडिमेड	20000	10000
47	"चन्दाबाई गोविन्दराम जावरा	बागरी	रेडिमेड	20000	10000
48	"रामकन्या अशोक जावरा	भांभी	कटपीस क.	20000	10000
49	रतनलाल रणछोड सैलाना	चमार	आटो गेरेज	30000	10000
50	"अर्जुन मोतीलाल रतलाम	खटीक	कपडा व्य.	20000	10000
51	"कमलाबाई छोटेलाल रतलाम	पासी	कपडा व्य.	20000	10000
52	"सुन्दरबाई प्रहलाद रतलाम	पासी	कपडा व्य.	20000	10000
53	"ओमप्रकाश मातादीन रतलाम	पासी	आटोरिक्शा	70000	10000
54	"प्रकाश मोहनलाल रतलाम	बरगुन्डा	साई.दुकान	20000	10000
55	"भागवन्ताबाई मांगीलाल रतलाम	बलाई	किरानादुकान	20000	10000
56	"ईश्वरलाल बाबुलाल रावटी	मेहतर	टेलरिंग कार्य	20000	10000
57	"राकेश शंकरलाल सालाखेडी	बलाई	साई. दुकान	25000	10000
58	"मुकेश उंकार धराड	बलाई	इले.दुकान	30000	10000
59	"कचरू कनिराम अर्णियागुजर	बलाई	किराना दु.	30000	10000
60	"दुलीचन्द्र भुवान अर्णियागुजर	बलाई	आटा चक्की	45000	10000
61	"नन्दराम लालुराम उपरवाडा	चमार	लाउड स्पी.	30000	10000
62	"संतोषबाई संतोष जावरा	खटीक	रेडिमेड	25000	10000
64	"मनोहर भेरूलाल रतलाम	बलाई	फर्निचर दु.	30000	10000
65	"सुगनबाई बालाराम भुतेडा	चमार	किराना दु.	25000	10000
66	"भेरूलाल धुराजी बम्बोरी	बलाई	किराना दु.	20000	10000
68	"गेन्दालाल नन्दा जी लुनेरा	बलाई	भैसपालन	30000	10000
69	"किशनलाल धुल जी बाजना	चमार	साई.दु.	20000	10000
70	"केलाश पन्नलाल सैलाना	चमार	जुता चप्पल दु	30000	10000
71	"रेखाबाई महेन्द्र रतलाम	खटीक	रेडिमेड कपडा	20000	10000
72	"रमेशचन्द्र फुला जी डोडर	भांभी	साई.दु	40000	10000
73	"बसन्तीबाई कन्हैयालाल रतलाम	चमार	रेडिमेड	250000	10000
74	"निर्मलाबाई मुकेश राव रतलाम	चमार	रेडिमेड	200000	10000
75	" लक्ष्मीबाई रमेशचन्द्र रतलाम	बसोड	रेडिमेड	20000	10000

76	“ रमेशचन्द्र सुखलाल रतलाम	बैरवा	किराना दुकान	20000	10000
77	“ पन्नालाल रूगनाथ रतलाम	बलाई	साई.दुकान	20000	10000
78	“राधेश्याम भेरुलाल कालुखेडा	चमार	किराना दुकान	20000	10000
79	“राधाबाई नागु जी निपानियालिला	चमार	जुता चप्पल दु.	20000	10000
80	“सुमित्राबाई रमेशचन्द्र ताल	चमार	रेडिमेड कपडा	20000	10000
81	“पुष्पाबाई मनोहरलाल रतलाम	भांभी	साडी व्यवसाय	20000	10000
82	“शिवकन्या विष्णुदास ढिकवा	बलाई	किराना दुकान	50000	10000
83	“भेरुलाल कन्हैयालाल रोजाना	खटीक	कपडा व्यवसाय	20000	10000
84	“ओमप्रकाश धुलीराम रतलाम	बैरवा	साईकिलदुकान	30000	10000
85	“कन्हैयालाल रामचन्द्र गुडरखेडा	बलाई	किराना दुकान	30000	10000
86	“रेशमबाई हीरालाल रतलाम	चमार	साडी व्यवसाय	20000	10000
87	“रेशमबाई रामचरण रतलाम	चमार	साडी व्यवसाय	20000	10000
88	“कृ. गायत्री नारायण रतलाम	मोची	किराना दुकान	20000	10000
89	“कमल नन्दकिशोर रतलाम	बैरवा	अगरबती	20000	10000
90	“शंकर बाबुलाल रतलाम	मोची	जुता चप्पल	20000	10000
91	“जगदीश अमरा रतलाम	बलाई	कपडा व्यवसाय	20000	10000
92	“बापुलाल भेराजी रतलाम	बलाई	कपडा व्यवसाय	20000	10000
93	“बलराम केशुराम रतलाम	बलाई	फलफुड	20000	10000
94	“कांतिलाल रामाजी बडवा	बलाई	कपडा व्यवसाय	25000	10000
95	“गोकुल मांगीलाल रतलाम	चमार	रेडिमेड कपडा	20000	10000
96	“सावेत्री मुन्नालाल रतलाम	चमार	रेडिमेड कपडा	20000	10000
97	“हीरालाल नरसिंग बाजेडा	बलाई	भैसपालन	30000	10000
98	“रमेश भागीरथ करिया	बलाई	विधुत पम्प	30000	10000
99	“शंकरलाल नाथु रतलाम	चमार	जुता चप्पल	50000	10000
100	“सीमा कांतिलाल रतलाम	खटीक	कपडा	20000	10000
101	“छगनलाल शंकरलाल जावरा	जाटव	आटोरिक्शा	57000	10000
102	“श्यामलाल भगवान रतलाम	चमार	फोटो फ्रेम	40000	10000
103	“जितेन्द्र तुलसीराम पिपलखुटा	खटीक	रेडिमेड	50000	10000
104	“जमनाबाई राकेश रावटी	चमार	लाई.जुता	20000	10000
105	“श्यामाबाई गणपत जावरा	चमार	किराना दुकान	40000	10000
106	“बद्री मांगु छायेन	बागरी	बकरी पालन	25000	10000
107	राजेश पिता छगन जी	मेहत्तर	कटपीस दुकान	30000	10000
108	अमृतलाल पिता नग्गा जी	बलाई	भैस पालन	20000	10000
109	शंकरलाल पिता नारायण	बलाई	भैस पालन	60000	10000
110	श्यामाबाई पति रमेशचंद	खटिक	कपडा व्यवसाय	50000	10000
111	दिनेश पिता रमेशचंद	बलाई	सेंटिंग व्यवसाय	50000	10000
112	अमृतराम पिता कनीराम	बलाई	भैस पालन	60000	10000
113	बालमुकुन्द पिता भेरुलाल	चमार	कटपीस कपडा	50000	10000

114	हंसराज पिता रामेष्वर	बलाई	चाय पत्ति	50000	10000
115	ओमप्रकाश पिता रमेष	बलाई	इलेक्ट्रीक व्यव.	50000	10000
116	अनिल पिता दुर्गाषंकर	बलाई	रेडिमेड वस्त्र	50000	10000
117	देवेन्द्र पिता नारायण	मांग	टेन्ट हाउस	50000	10000
118	कु. सन्नो पिता दषरथ	मेहत्तर	साडी व्यवसाय	50000	10000

कार्यालय
ftyk कार्यालय
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रतलाम

बिन्दू क्रमांक 14

कार्यालय में उपलब्ध जानकारी की सूची
हार्ड कापी में उपलब्ध

बिन्दू क्रमांक 15

- आम नागरिकों को उपलब्ध कराने संबंधी सूविधाएँ
-----सिटीजन चार्टर के बोर्ड कार्यालय परिसर में लगाने से
-----जागरूकता/सूचना शिविर
-----योजनाओं के फोल्डर

बिन्दू क्रमांक -16

लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष कार्या.	दूरभाष निवास	पता
1	श्री व्ही. के. जैन	कार्यापालन अधिकारी	07412	235380	मो.9425444717	609, रेल्वे कालोनी रतलाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष कार्या.	दूरभाष निवास	पता
1	श्री एच. एल. अहिरवार	लेखापाल	07412	235380	230276	7 ,श्री राम मॅषन पावर हाउस रोड़ रतलाम

अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर रतलाम है।

बिंदु क्रमांक 17

अन्य विषय ।